संख्याः 23 /2016 /65 /तीस-1-2016-5(31)/2015

प्रेषक,

मुहम्मद अख़लाक़ खॉं,

विशेष सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

परिवहन अनुभाग-1 लखनऊः दिनाँक 31 मार्च,2016

विषयः बस स्टेशन एवं डिपो कार्यशाला मऊ के निर्माण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम लखनऊ के पत्र संख्या-660बी/डी0ए0/प/15, दिनांक 22 सितम्बर, 2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बस स्टेशन एवं डिपो कार्यशाला मऊ के निर्माण हेतु नामित कार्यदायी संस्था कंस्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज (उ0प्र0 जल निगम) लखनऊ द्वारा 1482.86 लाख की लागत का आगणन उपलब्ध कराया गया। उक्त आगणन का प्रायोजना रचना एवं मूल्याकंन प्रभाग द्वारा परीक्षण किया गया। प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा संलग्न लागत विवरण के अनुसार परीक्षणोंपरान्त आंकलित की गयी धनराशि रू0 1235.36 लाख में से ए.सी.पी. क्लेडिंग तथा ग्रेनाइट क्लेडिंग मदों में आंकलित धनराशि रू0 23.96 लाख को कम करते हुए धनराशि रू0 1211.40 लाख की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति तथा वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/10-2015-231/2015, दिनांक 30 मार्च, 2015 में निहित निर्देशों के क्रम में चालू वित्तीय वर्ष-2015-16 में प्रथम किश्त के रूप में रू0 18.94 लाख (रूपये अठ्ठारह लाख चौरान्बे हजार मात्र) की धनराशि व्यय हेतु अवमुक्त किये जाने की निम्नलिखित शर्तो के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(1) प्रश्नगत कार्य कराये जाने हेतु कंस्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज (उ0प्र0 जल निगम) संस्था नामित किया जाता है। उ0प्र0 राज्य सडक परिवहन निगम द्वारा उक्त कार्यदायी संस्था से सम्पर्क करके प्रश्नगत कार्य कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा ।

(2) उक्त आहरित धनराशि पी0एल0ए0/डिपोजिट खाते में जमा नहीं की जाएगी।

(3) परियोजना का अंतिम रूप से अनुमोदित मानचित्र/डिजाइन के आधार पर विस्तृत आगणन का गठन करते हुए सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण कार्य कराया जायेगा।

(4) परियोजना निर्माण में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी मितव्ययिता संबंधी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(5) निर्माण के समय कार्य की विशिष्टियां, मानक, गुणवत्ता एवं समयबद्दता सुनिश्चित किये जाने का दायित्व कंस्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज (उ0प्र0 जल निगम) का होगा।

(6) परियोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में अवश्य पूर्ण कर लिया जायेगा।

(7) प्रायोजनान्तर्गत जनरेटर प्रस्तावित की गयी है। इनके क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था द्वारा इस हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर दरे प्राप्त की जायेगी। चूंकि यह प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्य है एवं इनके शिड्यूल आफ रेट्स उपलब्ध नहीं होते है तथा इनके मेक, माडल एवं स्पेशिफिकेशन के अन्तर से लागत में अन्तर आना

http://shasanadesh.up.nic.in

स्वाभाविक है। अतः कार्यदायी संस्था से अपेक्षित है कि निर्माण के समय इनका क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर किया जाय।

(8) प्रायोजना प्रस्ताव में प्रस्तावित मात्राओं तथा प्राविधानों को क्रार्यान्वयन के समय सुनिश्चित किये जाने का समस्त उत्तर दायित्व परिवहन निगम/कार्यदायी संस्था का होगा।

(9) कंस्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज (उ0प्र0 जल निगम) द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(10) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथारिटी से स्वीकृत कराया जाय।

(11) प्रायोजना अन्तर्गत मिट्टी भराई मद क्रमश: बस टर्मिनल में रू0 27.96 लाख एवं वर्कशाप में रू0 96.80 लाख की धनराशि प्रस्तावित की गयी है। जिलाधिकारी द्वारा गठित तकनीकी समिति की रिपोर्ट संलग्न न होने के कारण प्रभाग द्वारा मिट्टी भराई मद में क्रमश: 10.00 लाख एवं रू0 15.00 लाख की धनराशि अनुमन्य की गयी है। इस संबंध में व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक 08.03.2010 में यह व्यवस्था निर्धारित की गयी थी यदि किसी प्रायोजना में मिट्टी भराई की आवश्यकता पड़ती है तो संबंधित जनपद के जिलाधिकारी द्वारा स्थानीय स्तर पर अधिक्षण अभियन्ता लोक निर्माण विभाग की अध्यक्षत में एक समिति का गठन किया जायेगा जिसमें सदस्य के रूप जिलाधिकारी के प्रतिनिधि एवं निर्माण एजेन्सी के प्रतिनिधि तथा सदस्य सचिव के रूप में प्रशासकीय विभाग के स्थानीय स्तर के प्रतिनिधि होगें। इस समिति द्वारा अनुमोदित कन्टूर मैप एवं मिट्टी की मात्रा के अनुसार ही प्रायोजना प्रस्तावों/आगण्नों में मिट्टी भराई का प्राविधान किया जायेगा। यह भी निर्देश दिये थे कि तकनीकी समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट में यह उल्लेख किया जायेकि निर्माण स्थल से कितनी दूरी पर मिट्टी की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी। अत: शेष धनराशि जिलाधिकारी द्वारा गठित तकनीकी समिति की रिपोर्ट के आधार पर देय होगी।

(12) प्रायोजना प्रस्ताव में विद्युत कनेक्शन हेतु रू0 13.00 लाख प्रस्तावित किया गया है, जिसे प्रभाग द्वारा यथावत अनुमन्य किया गया है। विद्युत विभाग से प्राप्त आगणन के आधार पर वास्तविक धनराशि देय होगी।

(13) प्रभाग द्वारा प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों को यथावत् मानते हुए किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य बढ़ाना, एवं अन्य उच्च विशिष्टियॉ इस्तेमाल करना इत्यादि, सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त सक्षम स्तर द्वारा अनुमोदित कार्यो की तकनीकी स्वीकृति निर्गत करने के पूर्व विस्तृत डिजाइन/ड्राइंग बनाते समय प्रायोजना लागत में यदि 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होती है तो इस स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव पर प्रशासकीय विभाग द्वारा 03 माह के अन्दर सक्षम स्तर का पुन: अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा बाद में पुनरीक्षित प्रायोजना लागत के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।

(14) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति रोकने की दृष्टि से परिवहन निगम द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य योजना/कार्यक्रम अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(15) प्रश्नगत परियोजनान्तर्गत निर्माण कार्यो को सम्पादित किये जाने हेतु कार्यदायी संस्था एवं उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा माइलस्टोन्स निर्धारित किया जायेगा और निर्धारित माइलस्टोन्स व तद्नुसार कार्यो की

http://shasanadesh.up.nic.in

प्रगति से समय-समय पर शासन को अवगत कराया जायेगा। निर्माण कार्यो को समयबद्धता से पूर्ण कराया जाए साथ ही गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए।

(16) स्वीकृत की जा रही इस धनराशि का मासिक विवरण प्रपत्र-बी0एम0-13 में प्रतिमाह वित्त व्यय नियन्त्रण अनुभाग-9 एवं परिवहन अनुभाग-3 उ0प्र0 शासन को उपलब्ध कराया जाएगा। उक्त स्वीकृत धनराशि को व्यय करने से पूर्व वित्त विभाग के संदर्भित कार्यालय ज्ञाप दिनांक 30.03.2015 में दिए गये निर्देशों तथा वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर इस सम्बन्ध में जारी किये गये अन्य निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(17) उक्त व्यय के सम्बन्ध में शासन को उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व आपका होगा। उक्त धनराशि का व्यय सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त किया जाएगा।

(18) निर्धारित मानकानुसार उपयुक्त भूमि की निर्विवाद रूप से उपलब्धता सुनिश्चित कर ली जायेगी। प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिए है उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष-2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-43 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष के लेखाशीर्ष 5055-सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय 190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश-03-उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम में अंशपूंजी विनियोजन-30-निवेश/ऋण के नामें डाला जाएगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशा0संख्या-ई-9-133/दस-2016 दिनांक 31 मार्च, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे है।

संलग्न : यथोक्त।

भवदीय,
ह0
(मुहम्मद अख़लाक़ खॉ)
विशेष सचिव।

संख्याः23/2016/65/तीस-1-2016 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम लखनऊ ।
5. प्रबन्ध निदेशक, कंस्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज (उ0प्र0 जल निगम) लखनऊ।
6. वित्त नियन्त्रक,परिवहन आयुक्त, कार्यालय लखनऊ।
7. वित्त नियन्त्रक, उ0प्र0रा0स0 परिवहन निगम मुख्यालय,लखनऊ।
8. वित्त्त नियन्त्रक, कंस्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज (उ0प्र0 जल निगम) लखनऊ।
9. नियोजन अनुभाग-4।
10. वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-9/परिवहन अनुभाग-3।
11. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
12. गाई फाइल।

आज्ञा से,
ह0
(सन्त लाल)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in